

प्रेषक,

पी०के०धा०नो,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

अपर प्रमुख वन संस्करण / नोडल अभिकारी,  
वन भूमि हस्तातरण, इन्द्रिया नगर,  
फारेट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुवाग-४

अपै१  
देहरादून: दिनांक: १। मार्च, 2015

**विषय:** जनपद—अल्मोड़ा में वारीकोट—खुरडी (कोटियाग) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.६१, डॉ सिविल वन भूमि का और बानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त प्रिष्ठक आपके पत्र संख्या—2580 / FP/UK/ROAD/2970/2014 दिनांक १६ मार्च, २०१५ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद—अल्मोड़ा में वारीकोट—खुरडी (कोटियाग) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.६१, डॉ सिविल वन भूमि का और बानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सिद्धान्तकृति, भास्त सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एन०न०—११—०९/९४—एफ० सी० ०८० दिनांक ०७ नवम्बर, २०१४ एवं पत्र संख्या एन०न०—११—०९/९४—एफ०सी० ०८० दिनांक १३ फरवरी, २०१४ में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्यालिखित शर्तों/प्रतिबिन्दों के अधीन प्रदान करते हैं—

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पहुंच स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या (१००) में वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखखाल देते आवश्यक धनराशि (वर्तमान ऐतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जगा जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नानार्थ उच्चतम न्यायालय के शिट पिटोरान (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०स०—५६६ एवं भारत सरकार पत्र सं०—५—३/२००७ एफ०सी० ०८० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तीगान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित रक्षि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आर्य का यथनवद्वारा प्रत्यक्ष फरंगे कि साथम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
- भारत राजकार पत्र सं० ५—३/२००७—एफ०सी० ०८० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी नियिधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तार्दश निकाय के लेखा सं०—एस०वी०—२५२३० कापोरेशन बैंक (गारा सरकार का उपकम), छालक—११ भूतल सी०पी०ओ० काम्पलैक्स, फेज—१, लोधी रोड, नई दिल्ली—११०००३ में जमा करने के उपरांत ही पालती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि या बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन कार्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का भद्रवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्माण रक्कीति गाल्य होगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यवल की संस्तुतियों एवं गू-दैज़ानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

३४

- प्रयोक्ता एवं वारांशुमारी की द्वारा प्रतीक्षा में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- प्रतीक्षा का विभाग / एवं वारांशुमारी की द्वारा वन अधिकार अधिनियम-2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों / प्रस्त्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त शर्तों के अनुपालन प्रशासन प्रकरण में क्षेत्रिक स्वीकृति निर्गत की जाएगी।

भवदीय,

(प्रधानमंत्री)

अपर राजिय।

संख्या: १८१ (१) / X-४-१५ / १६९ / २०१६, राजदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- अपर प्रमुख यन संस्करक (केन्द्रीय), मारता संस्कार, पर्यावरण एवं यन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एनोआरए आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
- साधिय, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- गहरलोकार, लोखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- वन संस्करक चत्तरी धूमांडे धूमांडे, अल्मोड़ा।
- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
- प्रभागीय बनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग / पी०एन०जी०एस०आई०, द्वारकाट, अल्मोड़ा।
- निदेशक, सांस्कृतिक सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिषद, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एनोआई०सी० की ऐवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(स्वाम सिंह)

उप साधिय।